

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :- 05/2022

शोकत अली उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री फूलेखां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं. 8 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

- निगरानीकार

-बनाम-

1. राशिद अली उम्र 22 वर्ष पुत्र मुजाहिद अली, जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं0 7 मलसीसर, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. पदेन सचिव ग्राम पंचायत मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

- गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजपंचायती राज अधिनियम 1994,
विरुद्ध ग्राम पंचायत मलसीसर आदेश संकल्प 1 दिनांक 5.1.2022
अनुपालना दिनांक 10.1.2022 पट्टा संख्या 69 बहक मुजाहिद अली
व रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.3.2022


उपस्थिति:-

1. श्री विनोद गिल, एडवोकेट -----निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री विक्रम दुलड़ एडवोकेट ----- गैर निगरानीकार की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 06.07.2023

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, विरुद्ध ग्राम पंचायत मलसीसर आदेश संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.1.2022 की अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 69 दिनांक 10.01.2022 व रजिस्ट्रेशन दिनांक 16.3.2022 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि गैर निगरानीकार नंबर 1 ने जिस जगह का पट्टा बनवाया है, उस जगह पर निगरानीकार सम्वत 2008 व दिनांक 29.11.1952 से उक्त भूखण्ड पर काबिज रहा है। पूर्व में निगरानीकार के पिता फूलेखां पुत्र अलीखां उक्त भूखण्ड पर काबिज रहा। उक्त भूखण्ड की लंबाई पूर्व से पश्चिम 82 फुट व


 अतिरिक्त जिला कलक्टर
 झुंझुनू

दक्षिण 80 फुट है तथा उसकी चतुर्थ सीमा वर्तमान में पूर्व में ईस्साक का प्लाट, पश्चिम में-सुशीला (पूर्व में खाली राजकीय भूमि थी), उत्तर में बिसाऊ मलसीसर आम सड़क, दक्षिण में- जाकिर ईलाही (पूर्व में खाली राजकीय भूमि थी) उक्त भू-खण्ड पहले फूलेखां का था, फूलेखा के पश्चात उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार काबिज है। उक्त भूखण्ड में निगरानीकार के दो ट्रक पत्थर के तथा 60 गाड़े चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 466/1/1 रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 466/1/4 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 771 रकबा 2.02 हैक्टर को प्रशासन गांव के संग कैम्प लगे तब उक्त भूमि को आबादी में कनवर्ट कर दिया गया जिसका नामांतरकरण संख्या 1808 दिनांक 26.10.2021 को तस्दीक हुआ। उक्त भूमि आबादी में आने के पश्चात गैर निगरानीकार नं. 1 ने गैर निगरानीकार नं. 2 व 3 से साज करके पट्टा बनवा लिया। उक्त पट्टा अवैध है। निगरानीकार उक्त पट्टे से गंभीर रूप से प्रभावित है। इसलिए प्रभावित पक्षकार की हैसियत से निगरानी पेश कर रहा है। उक्त भूमि का पूर्व में गैर निगरानीकार नंबर 1 ने खसरा 466/1 का एक साजसी पट्टा दिनांक 13.12.2005 को बनवाया था, वो पट्टा माननीय जिला कलक्टर महोदय ने दिनांक 12.3.2008 को निरस्त कर दिया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो मुजाहिद अली की अपील दिनांक 28.10.2010 को खारिज हो गयी जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में मुजाहिद ने की वो दिनांक 10.7.2017 को खारिज हो गयी। मुजाहिद अली ने एक दावा दिनांक 12.4.2007 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष उनवानी मुजाहिद अली बनाम शोक्त अली आदि किया जो दिनांक 12.7.2019 को खारिज हो गया तथा अदालत ने मुजाहिद का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं माना तथा उसकी अपील जिला न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अभी लंबित है। उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर गैर निगरानीकार नंबर 1 ने साज करके उक्त पट्टा बनाया है। पट्टे की चतुर्थ सीमाएं गलत दर्ज कर रखी हैं तथा पट्टे का माप भी गलत कर रखा है तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज कर रखा है कि स्वयं का रिहायशी मकान बना रखा है, जबकि भूमि खाली भूमि है, मौके पर कोई मकान नहीं बना हुआ है। गैर निगरानीकार नंबर 1 का मकान गुगामेड़ी के पास स्थित है जो दो मंजिल का है। गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने बिना जांच किये गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो काबिले निरस्त है। पूर्व में गैर निगरानीकार व उसके परिवार के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली की कई बार कार्यवाही हुई है। गैर निगरानीकार नं. 1 ने साज करके निगरानीकार की भूमि का पट्टा अपने नाम से बनवाया है जो काबिले निरस्त है। अंत में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.1.2022 की अनुपालना में जारी पट्टा दिनांक 10.01.2022 पट्टा क्रमांक 69 ग्राम पंचायत मलसीसर बहक मुजाहिद अली निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि— "गैर निगरानीकार नंबर 1 ने जिस जगह का पट्टा बनवाया है, उस जगह पर निगरानीकार सम्वत 2008 व दिनांक 29.11.1952 से उक्त भूखण्ड पर काबिज रहा है। पूर्व में निगरानीकार के पिता फुलेखां पुत्र अलीखां उक्त भूखण्ड पर काबिज रहा। उक्त भूखण्ड की लंबाई पूर्व से पश्चिम 82 फुट व उत्तर से दक्षिण 80 फुट है। फुलेखां के पश्चात उक्त भूखण्ड पर निगरानीकार काबिज है। उक्त भूखण्ड में निगरानीकार के दो ट्रक पत्थर के तथा 60 गाड़े चिकनी मिट्टी पड़ी हुई है। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 466/1/1 रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 466/1/4 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 771 रकबा 2.02 हैक्टर को प्रशासन गांव के संग कैम्प लगे तब उक्त भूमि को आबादी में कनवर्ट कर दिया गया जिसका नामांतरकरण संख्या 1808 दिनांक 26.10.2021 को तस्दीक हुआ। उक्त भूमि आबादी में आने के पश्चात गैर निगरानीकार नं. 1 ने गैर निगरानीकार नं. 2 व 3 से साज करके पट्टा बनवा लिया है। उक्त पट्टा अवैध है। निगरानीकार उक्त पट्टे से गंभीर रूप से प्रभावित है। उक्त भूमि का पूर्व में गैर निगरानीकार नंबर 1 ने खसरा 466/1 का एक साजसी पट्टा दिनांक 13.12.2005 को बनवाया था, वो पट्टा माननीय जिला कलक्टर महोदय ने दिनांक 12.3.2008 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर केम्प झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो मुजाहिद अली की अपील दिनांक 28.10.2010 को खारिज हो गयी, जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में मुजाहिद ने की वो दिनांक 10.7.2017 को खारिज हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

गयी। मुजाहिद अली ने एक दावा दिनांक 12.4.2007 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष उनवानी मुजाहिद अली बनाम शोकत अली आदि पेश किया जो दिनांक 12.7.2019 को खारिज हो गया तथा अदालत ने मुजाहिद का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं माना तथा उसकी अपील जिला न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अभी लंबित है। उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर गैर निगरानीकार नंबर 1 ने साज करके उक्त पट्टा बनाया है। पट्टे की चतुर्थ सीमाएं गलत दर्ज कर रखी हैं तथा पट्टे का माप भी गलत कर रखा है तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज कर रखा है कि स्वयं का रिहायशी मकान बना रखा है, जबकि भूमि खाली भूमि है, मौके पर कोई मकान नहीं बना हुआ है। गैर निगरानीकार नंबर 1 का मकान गुगामेड़ी के पास स्थित है जो दो मंजिल का है। गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने बिना जांच किये गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है जो काबिले निरस्त है। पूर्व में गैर निगरानीकार व उसके परिवार के व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली की कई बार कार्यवाही हुई है। गैर निगरानीकार नंबर-1 ने शमशान भूमि पर भी कब्जा कर रखा है जो मलसीसर से बिसाऊ सड़क के दक्षिण दिशा में है तथा उत्तर दिशा में स्वयं आबाद है। गैर निगरानीकार नं. 1 ने साज करके निगरानीकार की भूमि का पट्टा अपने नाम से बनवाया है जो काबिले निरस्त है। अंत में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 1 दिनांक 5.1.2022 की अनुपालना में जारी पट्टा दिनांक 10.01.2022 पट्टा क्रमांक 69 ग्राम पंचायत मलसीसर बहक मुजाहिद अली निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार ने बताया कि निगरानी चलने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर-1 ने कथन किया कि गैर निगरानीकार के पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 के तहत विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर गैर निगरानीकार राशिद अली को पट्टा संख्या-69 दिनांक 10.01.2022 को जारी किया गया है। उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्टर्ड पट्टे को सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। निगरानीकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने कथन किया कि पट्टा संख्या 69 ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार नंबर 1 राशिद अली के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

पुराने कब्जे के आधार पर आबादी भूमि में राज0 पंचायती राज अधिनियम 194 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना की जाकर पंचायत बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प संख्या-1 पारित कर जारी किया गया है जो सही है। निगरानीकार की निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण पट्टा संख्या 69 ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा आबादी भूमि में गैर निगरानीकार नंबर 1 राशिद अली के पुराने कब्जे के आधार पर राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 1996 के नियम 157 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है। पट्टा संख्या-69 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा जारी करने के लिए मुजाहिद अली द्वारा आबादी भूमि में पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पंचायत बैठक दिनांक 06.12.2021 को प्रस्ताव संख्या-2 द्वारा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी का गठन किया गया है। पंचायत बैठक दिनांक 20.12.2021 को नियुक्त पंचों की गठित कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या-5 एवं प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 05.1.2022 को ग्राम पंचायत सदन मलसीसर में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर गैर निगरानीकार राशिद अली को विवादित भूमि पर पुराना कब्जा मानकर पट्टा संख्या 69 जारी किया गया है जिसका बाद में सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा राशिद अली के नाम से दिनांक 16.3.2022 को उप पंजीयक मलसीसर के यहां पंजीयन करवाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार राशिद अली को आबादी भूमि में पुराना कब्जा मानकर पट्टा संख्या-69 जारी किया गया है, जो उप पंजीयक मलसीसर के यहां दिनांक 16.03.2022 को पंजीबद्ध भी हो चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी पट्टा संख्या-69 को निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास किया जाकर कि विवादित भूमि उसके कब्जे की भूमि रही है, के आधार पर ही निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। हालांकि उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा कुछ तकनीकी खामियां रही हैं, लेकिन सरपंच एवं सचिव को कानून की बारीकियों के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होने से उनसे कानूनन बिन्दु पर ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। विवादित पट्टा संख्या 69 ग्राम पंचायत मलसीसर की सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जारी किया गया है जो पंजीकृत दस्तावेज है। जहां तक पूर्व में जारी पट्टा विभिन्न अदालतों से निरस्त होने का प्रश्न है उक्त भूमि पूर्व में राजकीय भूमि रही है। नामांतरकरण संख्या 1808

अतिरिक्त चिलम कलक्टर
शुन्नु

दिनांक 26.10.2021 को ही ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु दी गई है। ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा विवादित भूमि का पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है जो आदेश निरस्त हुआ है वह तहसीलदार मलसीसर द्वारा संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 3211-14 दिनांक 13.12.2005 को राशिद अली पुत्र मुजाहिद खां जाति कायमखानी निवासी मलसीसर के नाम से भूमि खसरा नंबर 466/1 रकबा 1109 बीघा 10 विश्वा में से पुराना कब्जा मानकर 500 वर्ग मीटर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ 10/-रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जरिये चालान संख्या 765 द्वारा 5000 रूपये राजकोष में जमा करवाकर जारी किया गया था। उक्त सम्परिवर्तन आदेश की अपीलान्त शोकत अली द्वारा जिला कलक्टर, झुंझुनू को अपील करने पर उक्त संपरिवर्तन आदेश का खारिज किया गया है। उक्त सम्परिवर्तन आदेश तकनीकी आधार पर ही विभिन्न अदालतों में खारिज किया गया है। उक्त आदेश में रेस्पॉडेन्ट को संपरिवर्तन आदेश जारी करने का आधार केवल धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी नोटिस जो भूमि खसरा नंबर 466/1 में से 2 विश्वा पर काश्त करने का माना है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाना जिसमें पटवारी हल्का के बयान एवं आस-पड़ौस के व्यक्तियों के बयान आदि नहीं लिये जाने एवं जो नोटिस दिया गया वह 2 विश्वा काश्त के लिए दिया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होने से कि यह नोटिस पूरे रकबे में कहां के लिये दिया गया है, आदि, तकनीकी खामियों के कारण उक्त संपरिवर्तन आदेश विभिन्न अदालतों से निरस्त किया गया है, उसमें भी तहसीलदार मलसीसर द्वारा वर्ष 2005 में कब्जा मुजाहिद अली का ही माना गया था, वह संपरिवर्तन आदेश/ पट्टा 500 वर्गमीटर भूमि का था जो पूरे रकबे में कहां का था, नक्शा आदि नहीं होने से तकनीकी आधार पर खारिज हुआ है। पट्टा संख्या 69 ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार मुजाहिद अली को 154.88 वर्गगज भूमि जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त प्रकरण का इस विवादित भूमि से जोड़ने की कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होने एवं विवादित भूमि निगरानीकार की कब्जे की भूमि रही हो ऐसी भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है। विवादित भूमि आबादी भूमि है जिसपर ग्राम पंचायत मलसीसर ने गैर निगरानीकार मुजाहिद अली का पुराना कब्जा मानकर पट्टा जारी किया गया है जो पंजीकृत पट्टा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत मलसीसर द्वारा संकल्प संख्या-1 दिनांक 05.01.2022 की अनुपालना में राशिद अली पुत्र मुजाहिद अली के नाम से जारी पट्टा संख्या-69 दिनांक 10.01.2022 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(जगदीश प्रसाद मोड़ि)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुझुनू

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद मोड़ि)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुझुनू